Vom3
2025/483

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
अनीता कोली बनाम कौशल्या वगै०
किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 104 सन् 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.25	अधिवक्ता प्रार्थीया ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस में निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 50, 49, 53/1, 52/2, 46/2, 45/2, 44/2, 48/2, 51/2 वाके ग्राम बोरखण्डी खुर्द, पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू में स्थित है। खाता संख्या 54, 55, 56 में प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के पिता व पति प्रेमचन्द पुत्र लाला का 1/18, 1/18 हिस्सा व खाता संख्या 57, 58, 59, 30 में 1/9, 1/9 हिस्सा प्रेमचन्द पुत्र लाला जाति बैरवा की तनहा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी। प्रार्थीया ने उक्त खातेदार प्रेमचन्द बैरवा से उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2020 को बिलएवज मुबलिग 25,00,000 रूपये में खरीद कर कब्जा मालिकाना प्राप्त किया था। उक्त भूमियो की प्रार्थीया विक्रय पत्र की दिनांक से मौके पर बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज चली आ रही है। प्रार्थीया एक कम पढी लिखी महिला है। जिसको कोई विधिक जानकारी नही थी। इस कारण वह उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाने हेतु कोई कार्यवाही नही कर सकी तथा इसी दौरान प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 05 के पिता व पति का स्वर्गवास हो गया। प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 05 प्रेमचन्द की विरासत का नामान्तकरण भरवाकर भूमियो को खुर्द बुर्द व रहन, दान, बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर उतारू है तथा प्रतिपक्षी संख्या 06 लगायत 33 बिना विधिवत् तकासमा करवाये ही रहन, दान, बेचान करना चाहते है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 50,	

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

Scanned with OKEN Scanner

49, 53/1, 52/2, 46/2, 45/2, 44/2, 48/2, 51/2 वाके ग्राम बोरखण्डी खुर्द पटवार हल्का सोहेला में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तलबी प्रतिपक्षीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो, यदि इस आदेश के जारी होने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 24.10.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू, जिला टोंक

24/10/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश [illegible] होने के कारण पत्रावली [illegible] आदेशिका अनुसार दिनांक 18/12/25 पेश हो।

20/11/25 प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। मूल वाद विड्रो किये जाने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 24.09.2025 को जारी स्थगन आदेश खारिज किया जाता है एवं प्रा.पत्र इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)